कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 11 / 2025–26 / 430 दिनांक 01 जून 2026

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2025

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदो में अभिलेख सत्यापन हेतु तिथिवार कलैण्डर एवं निर्देश।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या विज्ञापन संख्या **उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 11 / 2025–26 / 786, दिनांकः– 14 नवम्बर, 2025 यथा संशोधित विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 11 / 2025–26 / 306, दिनांक– 15 अप्रैल 2026** के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी।

जारी विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन जमा किये गये आवेदन पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लगभग दो गुना तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) सूची तिथिवार अभिलेख सत्यापन हेतु जारी की जा रही है। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु <u>दिनांक 18 जून, 2026 (वृहस्पतिवार / गुरुवार) से दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) तक</u> प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया जाता है।

<u>नोट–</u>

1. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक 11 जून 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है। यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हे स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2022 में अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, तथा उनके अभ्यर्थन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा–2025 के अन्तर्गत सम्मिलित इस पत्र के साथ संलग्न कलैण्डर में उल्लिखित उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी, जिन्होने आवेदन पत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
3. प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश (दिनांक 26 जून 2026– मोहर्रम) को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा–2025 के अन्तर्गत आवेदन किये जाने हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में दायर द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2025 में सम्मिलित किये गये ऑफलाईन आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1 / 36038 / 24 / XXVIII–2–2026–E.FILE NO. 97426 / 2026, दिनांक 14 जनवरी 2026 एवं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या– 3प / प0क0 / 5 / 61 / 2025 / 2338, दिनांक 27 जनवरी 2026 के अनुपालन में निरस्त किये जाते हैं।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें:–

- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों के सापेक्ष आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों की संख्या से लगभग दो गुना अभ्यर्थियों को (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा के अनुसार बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। **अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित किये जाने से कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन किया गया है।**
- अभिलेख सत्यापन के उपरान्त ही रिक्त 335 पदों के सापेक्ष बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम के आधार पर जनपदवार परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
- अभिलेख सत्यापन के समय यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हता से सम्बन्धित मूल अभिलेख, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स की सभी अंकतालिकाएं, वैध जाति प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को वैध), उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में स्थाई रुप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख जिनका उल्लेख प्रवेश पत्र के साथ संलग्न तालिका 'क' में किया गया है, प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/20709 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो कि आवेदन पत्र जमा करने अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया हो, अभिलेख सत्यापन दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी आरक्षण देय नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हे स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2025 में अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करती हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स शैक्षिक अर्हता नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि '' अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल में सम्यक रुप से पंजीकृत हो।'' अभ्यर्थी के पंजीकरण के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के समय उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है तो उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करते समय उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण हेतु आवेदन किया हो एवं उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में रसीद संख्या अंकित की गई है और रसीद सलग्न की गई हो तथा आवेदन करने की अंतिम

तिथि तक का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने आरक्षण यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी का दावा किया गया है और वे आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की वरिष्ठता सूची में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सम्मिलित हो रहे हों, जैसे कि आयु में लाभ, वरीयता क्रम में लाभ इत्यादि, अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि वैध वांछित अभिलेख मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हे अभिलेख सत्यापन दिवस में अन्तिम रुप से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
- ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना अनिवार्य है। नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 03 साल है।
- ऐसे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र वैध होना अनिवार्य है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 01 साल होती है, परन्तु पूर्व में यह देखा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र छः माह हेतु भी जारी किये गये हैं। वर्ष 2024–25 तथा 2025–26 हेतु निर्गत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होंगे।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन प्रपत्र में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–25.03.2011एवं शासनादेश संख्या–48/XVII-A–3/2023–01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05.06.2023 में दिव्यांगजन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद का चिन्हीकरण नहीं किया गया है, जिस कारण उपरोक्त तालिका में दिव्यांगजनों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना नहीं की गयी है तथापि इस संवर्ग हेतु प्रख्यापित उत्तराखण्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–33 के अनुसार चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उपश्रेणी यथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजन के आरक्षण का दावा किया है तथा वे यदि अभिलेख सत्यापन दिवस में सम्बन्धित उपश्रेणी के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को उपश्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर उनकी वरीयता सूची में उस स्थान पर रखा जायेगा जहां पर वे पूर्व में उनकी श्रेणी के अनुसार स्थान पाते हों।
- आवेदन पत्र में अंकित किये गये दावों से भिन्न किसी भी दावे पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र तथा मूल अभिलेख में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स के कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों यथा अंकपत्रों तथा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स के अनुसार उनके कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में सत्यापन पटल के नामित अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा ही संशोधित प्राप्तांक तथा उत्तीर्ण वर्ष अंकित किया जा सकता है और अभ्यर्थी द्वारा किये गये संशोधन को स्वप्रमाणित भी किया जायेगा।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को **मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ** निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगेः–

1. अभिलेख सत्यापन हेतु जारी किया गया औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति
2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति।
3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
6. इण्टरमिडिएट अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
8. Auxiliary Nursing Midwifery प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
9. Auxiliary Nursing Midwifery प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
10. उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल पंजीकरण का वैध/नवीनीकृत प्रमाण पत्र – 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो) – 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/पत्नी आर्मी/ पैरामिलिट्री /केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)– 02 स्वप्रमाणित प्रति
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/ पूर्वसैनिक/ उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे/कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र मे ंउल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)**

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट– क

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2025 हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र0सं0	प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यर्थी तथा अनुक्रमांक
1.	2002	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 18 जून 2026 (बृहस्पतिवार/गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202101 से 6196202190 तक
2.	2007		
3.	2008		
4.	2010		
5.	2011		
6.	2012		
7.	2013		
8.	2013	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 19 जून 2026 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202191 से 6196202280 तक
9.	2014		
10.	2014	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 22 जून 2026 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202281 से 6196202370 तक
11.	2014	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 23 जून 2026 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202371 से 6196202460 तक
12.	2014	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 24 जून 2026 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202461 से 6196202550 तक
13.	2014	अनारक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 25 जून 2026 (बृहस्पतिवार/गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202551 से 6196202640 तक
14.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
15.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 29 जून 2026 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202641 से 6196202730 तक
16.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी एवं अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 30 जून 2026 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 6196202731 से 6196202820 तक

क्र0सं0	प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यर्थी तथा अनुक्रमांक
17.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी एवं अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 56 **अनुक्रमांक–** 6196202821 से 6196202876 तक
18.	2016	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
19.	2017	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
20.	2018	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
21.	2019	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
22.	2020	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
23.	2022	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
24.	2023	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
25.	2024	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
26.	2025	समस्त श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

नोट–

● स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा–2025 के अन्तर्गत सम्मिलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होने आवेदन पत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।

● स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा–2025 के अन्तर्गत आवेदन किये जाने हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में दायर द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2025 में सम्मिलित किये गये ऑफलाईन आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/36038/24/XXVIII–2–2026–E.FILE NO. 97426/2026, दिनांक 14 जनवरी 2026 एवं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या–3प/प0क0/5/61/2025/2338, दिनांक 27 जनवरी 2026 के अनुपालन में निरस्त किये जाते हैं।

● प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश (दिनांक 26 जून 2026– मोहर्रम) को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।